<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

दिनांक: 21 जुलाई 2025

<u>संघ सरकार (रेलवे) पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत</u>

वर्ष 2025 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन स. 5- 'संघ सरकार (रेलवे)- अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन' को क्रमशः 4 अप्रैल 2025 व 21 जुलाई 2025 को राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर रखा गया था। अब, यह एक सार्वजनिक दस्तावेज बन गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के रेल मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 25 लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो 2022-23 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। लेखापरीक्षा आपत्तियों की स्थिति को अद्यतन करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, 2022-23 के बाद की अवधि से संबंधित जानकारी भी शामिल की गई है।

लेखापरीक्षा आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण:

पैरा 2.1 शंटिंग शुल्क की गैर-वसूली: पूर्व मध्य रेलवे

पूर्व मध्य रेलवे के बीना साइडिंग (बीसीएसके) में रेलवे इंजन का उपयोग करके शंटिंग गतिविधि के लिए शंटिंग शुल्क नहीं लगाने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2020 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान साइडिंग मालिक से ₹ 50.77 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

पैरा 2.2 कम उपयोग या कम मांग वाली ट्रेन के संचालन से संबंधित प्रस्तावों पर निष्क्रियता के कारण हानि: दक्षिण पश्चिम रेलवे

बेंगलुरु (एसबीसी) मंडल द्वारा बार-बार रिपोर्ट करने के बाद भी सत्य साईं प्रशांति निलयम (एसएसपीएन) स्टेशन और केएसआर बेंगलुरु सिटी (एसबीसी) स्टेशन के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन का कम उपयोग या कम मांग होने के बाद भी, दक्षिण पश्चिम रेलवे

(दपरे) ने इसका परिचालन जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप 2017-18 से 2022-23 की अवधि के दौरान इसके संचालन पर ₹ 17.47 करोड़ की हानि हुई।

पैरा 2.3 मार्गों के गैर/विलंबित उन्नयन के कारण राजस्व की हानि: पश्चिम रेलवे

रेल मंत्रालय ने उन मार्गों का सीसी+8 में रूपांतरण करने तक उपयुक्त गति प्रतिबंध लगाकर इनमें उद्गम-गंतव्य जोड़े के लिए सीसी+8 टन एक्सल लोड की माल ढुलाई की अनुमति दी, जहां सीसी+6/सीसी+4 स्ट्रेच मार्ग की कुल दूरी के 10 *प्रतिशत* के भीतर थे। ये निर्देश पश्चिम रेलवे में तीन ऐसे मार्गों पर दो साल से अधिक की देरी के बाद लागू किए गए, जिसके कारण रेक में 51,453 टन सामान की कम लोडिंग हुई, जिसके परिणामस्वरूप जून 2021 से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान ₹ 6.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। एक अन्य ऐसे मार्ग पर, इन निर्देशों को अभी तक लागू नहीं किया गया था। जिसके कारण 23,817 टन सामान को रेक में लोड नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2022 से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान ₹ 6.45 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

पैरा 2.4 अनुचित एसटीएस रियायत की मंजूरी के कारण रेलवे को ₹ 11.02 करोड़ की हानि: दक्षिण रेलवे

अतिरिक्त यातायात जुटाने के लिए, रेलवे द्वारा स्टेशन-से-स्टेशन दरों (एसटीएस) की योजना के तहत माल ढुलाई दरों में रियायत दी गई। रेलवे बोर्ड ने व्यापक दिशा-निदेश जारी किए, जिसमें विशेष रूप से जोनल रेलवे को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि इस रियायत के परिणामस्वरूप माल ढुलाई में वृद्धि हो और परेषित लोडिंग बिंदुओ को बदलकर या मौजूदा यातायात को परिवर्तित करके नए यातायात के नाम पर रियायत न ले सकें। हालाँकि, दक्षिण रेलवे प्रशासन ने अनुचित रियायत को मंजूरी दे दी, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को ₹ 11.02 करोड़ की हानि हुई।

पैरा 2.5 ख़राब वैगनों की खाली ढुलाई के कारण संभावित माल-भाड़ा आय की हानि: दक्षिण पूर्व रेलवे

दक्षिण पूर्व रेलवे ने धुतरा में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड साइडिंग और राजगंगपुर में उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड साइडिंग को फिट वैगनों के साथ-साथ अनफिट/लोड न करने योग्य वैगनों की आपूर्ति की। इन ख़राब वैगनों को अलग-अलग स्थानों के लिए जावक रेक में फिट वैगनों के साथ खाली चलने की अनुमति दी गई थी। परिणामस्वरूप,

दक्षिण पूर्व रेलवे 2021-22 और 2022-23 के दौरान इन ख़राब खाली वैगनों से ₹ 10.25 करोड़ का संभावित माल-भाड़ा अर्जित नहीं कर सका।

पैरा 2.6 प्रीमियम इंडेंट के प्रति रेक की समय पर आपूर्ति में रेलवे प्रशासन की विफलता के परिणामस्वरूप संभावित प्रीमियम शुल्क की हानि: पश्चिम मध्य रेलवे

रेलवे प्रशासन प्रीमियम इंडेंट के प्रति पार्टियों को रेक की आपूर्ति न करके रेलवे बोर्ड की नीति को लागू करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.16 करोड़ के संभावित प्रीमियम शुल्क की हानि हुई।

पैरा 2.7 उच्च एक्सल-लोड ले जाने के लिए एक मार्ग को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को शुरू करने में विफलता के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि होना: दक्षिण रेलवे

मैग्नेसाइट जंक्शन - नागरकोइल सेक्शन (458.25 किलोमीटर) में सीसी+8 लोड संचालित करने का दक्षिण रेलवे (दरे) का उद्देश्य करूर - नागरकोइल खंड को सीसी+8 लोड चलाने के लिए फिट के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव रेल मंत्रालय को प्रस्तुत न करने के कारण साकार नहीं हो सका। इसके परिणामस्वरूप पूरे सेक्शन पर कम भार ले जाने के कारण अप्रैल 2018 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान ₹ 5.43 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

पैरा 3.1 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से ₹ 148.61 करोड़ के भूमि लाइसेंस शुल्क की कम वसूली: उत्तर रेलवे

उत्तर रेलवे ने पांच सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से भूमि मूल्य के छह प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क वसूलने के आरबी के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके कारण ₹ 148.61 करोड़ लाइसेंस शुल्क की कम वसूली हुई।

पैरा 3.2 जिला खनिज फाउंडेशन के प्रति संविदाकारों से अंशदान की वसूली न होना: दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य, पूर्व तटीय, पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व मध्य, पश्चिम मध्य और मध्य रेलवे

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) को भुगतान का प्रावधान करता है। यदि संविदाकार द्वारा डीएमएफ के लिए अंशदान का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संविदाकारों से इसे रॉयल्टी के साथ काटा जाएगा।

यद्यपि रॉयल्टी की वसूली दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य, पूर्व तटीय, पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व मध्य, पश्चिम मध्य और मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा संविदाकारों के बिलों से की जा रही है, लेकिन डीएमएफ में अंशदान की वसूली नहीं की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2015 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान ₹ 55.51 करोड़ की गैर-वसूली हुई।

पैरा 3.3 डिपॉजिट कार्य के निष्पादन में ₹ 25.48 करोड़ की गैर-वसूली: दक्षिण मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

डिपॉजिट कार्यों से संबंधित संहिता प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार से ₹ 10.05 करोड़ और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा रक्षा विभाग और अन्य पार्टियों से ₹ 15.43 करोड़ की गैर-वसूली हुई।

पैरा 3.4 अति उच्च आवृत्ति सेटों के लिए लाइसेंस के विलंबित नवीनीकरण के कारण परिहार्य देनदारी: दक्षिण मध्य रेलवे

दक्षिण मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा अति उच्च आवृत्ति सेटों के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान में देरी के कारण विलंब शुल्क के रूप में ₹ 23.16 करोड़ की परिहार्य वित्तीय देनदारी हुई।

पैरा 3.5 लागत विभाजन पर निर्देशों का पालन न होना: मध्य रेलवे

रेलवे और महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) के बीच लागत साझा करने में कोडल प्रावधानों और रेलवे मंत्रालय (रे.म.) के निर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप डीएफसीसीआईएल परियोजना के वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पर दिवा-पनवेल-जसाई-जेएनपीटी सेक्शन में चार रोड़ अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण में ₹ 15.62 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पैरा 3.6 सेनियोरेज शुल्क की अनियमित प्रतिपूर्ति: दक्षिण मध्य रेलवे

दक्षिण मध्य रेलवे प्रशासन ने रेल मंत्रालय की मंजूरी के बिना भारतीय रेलवे मानक अनुबंध की सामान्य शर्तें 2014 के प्रावधानों में संशोधन किया। इसके परिणामस्वरूप संविदाकारों को ₹ 15.51 करोड़ के सेनियोरेज शुल्क की अनियमित प्रतिपूर्ति हुई।

पैरा 3.7 रेलवे बोर्ड के निर्देशों और समझौता ज्ञापन (एमओयू) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए राज्य सरकार के हिस्से की गैर-वसूली: पूर्व रेलवे

पूर्व रेलवे रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए रेलवे बोर्ड के निर्देशों और एमओयू के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, ब्रिज के चालू होने के बाद भी राज्य सरकार के हिस्से ₹ 13.52 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

पैरा 3.8 साइडिंग अथॉरिटी (कॉनकॉर) के साथ समझौते के गैर-निष्पादन के कारण रखरखाव और निरीक्षण शुल्क की गैर-वसूली: पूर्वोत्तर सीमांत और दक्षिण मध्य रेलवे

रेल मंत्रालय के निर्देशों का पालन न करने के कारण कॉनकॉर अथॉरिटी से ₹ 12.76 करोड़ के रखरखाव और निरीक्षण शुल्क की वसूली नहीं हुई।

पैरा 3.9 एप्रोच सड़कों का काम शुरू न होने के कारण ब्रिज प्रोपर के बेकार पड़े रहने से पूंजी का अवरोधन: दक्षिण पश्चिम रेलवे

दक्षिण पश्चिम रेलवे प्रशासन ने कर्नाटक सरकार द्वारा उनके साझा कार्य के लिए समान कार्रवाई सुनिश्चित किए बिना रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया। इसके परिणामस्वरूप लेवल क्रॉसिंग बंद नहीं हुई और पांच वर्षों (2018 से 2023) से अधिक समय के लिए ₹ 11.81 करोड़ की पूंजी अवरुद्ध हो गई।

पैरा 3.10 गोसलपुर गुड्स शेड में बुनियादी ढांचे का विकास न होने के कारण लोडेड रेकों का अवरुद्ध होना: पश्चिम मध्य रेलवे

रेल प्रशासन पर्याप्त माल ढुलाई व्यवसाय होने के बावजूद गोसलपुर गुड्स शेड में उचित बुनियादी ढांचे का विकास नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप लोडेड रेकें अवरुद्ध हुई।

पैरा 3.11 संविदा देने में अनियमितता: पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे प्रशासन ने मशीन क्रश्ड ट्रैक गिट्टी की खरीद के लिए उसी क्षेत्र में प्रचलित अंतिम स्वीकृत दरों की अनदेखी करते हुए उच्च दरों को स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप उच्च दर पर खरीद के कारण संविदाकार को ₹ 9.40 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

पैरा 3.12 न्यू जलपाईगुड़ी में इलेक्ट्रिक लोको ट्रिप शेड के चालू न होने से पूंजी का अवरोधन: पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रेलवे विद्युतीकरण (आरई) संगठन और ओपन लाइन (ओएल) संगठन की अनुचित योजना और समन्वित प्रयासों की कमी के कारण न्यू जलपाईगुड़ी में इलेक्ट्रिक लोको ट्रिप शेड चालू नहीं हो सका और परिणामस्वरूप ₹ 9.33 करोड़ की पूंजी अवरूद्ध हो गई।

पैरा 3.13 टर्मिनल स्टेशन के निर्माण पर निरर्थक व्यय: पूर्व रेलवे

न्यू गरिया टर्मिनल स्टेशन के निर्माण के संबंध में परिचालन संबंधी बाधाओं को समझे बिना मूल योजना से हटकर बफर-एंडेड लूप को निष्पादित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 7.62 करोड़ का निरर्थक व्यय के साथ साथ ₹ 1.65 करोड़ की अतिरिक्त बकाया देनदारी भी हुई।

पैरा 3.14 आपूर्ति श्रृंखला के कुप्रबंधन के कारण पीएससी स्लीपर के परिवहन पर ₹ 7.40 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

रेलवे बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन न करने एवं आपूर्ति श्रृंखला के कुप्रबंधन के कारण, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने निकटतम स्लीपर प्लांट में स्लीपरों की उपलब्धता के बावजूद लंबी दूरी से प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपरों के परिवहन पर ₹ 7.40 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

पैरा 4.1 बुनियादी तकनीकी आवश्यकता का आकलन किए बिना नीलगिरी माउंटेन रेलवे (एनएमआर) के लिए कोचों का निर्माण: दक्षिण रेलवे और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री

दक्षिण रेलवे (दरे) ने 28 नीलगिरी माउंटेन रेलवे (एनएमआर) मीटर गेज कोचों को बदलने की योजना बनाई (मई 2015)। रेल मंत्रालय ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) को एक प्रोटोटाइप कोच डिजाइन और विकसित करने की सलाह दी (जुलाई 2015)। आईसीएफ ने 28 एनएमआर कोचों का निर्माण किया और ₹ 27.91 करोड़ की लागत पर इन्हें (मार्च 2019 और मार्च 2021 के बीच) दरे को वितरित किया। आईसीएफ ने अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) के परामर्श से एक प्रोटोटाइप कोच विकसित करने में रेल मंत्रालय के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके कारण ₹ 27.91 करोड़ की लागत पर अप्रभावी और कमी वाली परिसंपत्तियों का सृजन हुआ

क्योंकि एनएमआर कोचों को इनके विनिर्माण के तीन वर्ष बाद भी प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया गया था।

पैरा 4.2 रेलवे क्वार्टरों में रहने वालों से विद्युत शुल्क की अल्प वसूली: पूर्व मध्य रेलवे

पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल में रेलवे क्वार्टरों में रहने वालों से वसूली के लिए विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों (एसइबी) के विद्युत शुल्क की संशोधित दर को लागू न करने के परिणामस्वरूप ₹ 14.89 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

पैरा 4.3 कोच शॉट ब्लास्टिंग प्लांट की अविवेकपूर्ण खरीद: पूर्व रेलवे

केवल लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोचों के साथ संगत कोच शॉट ब्लास्टिंग प्लांट की अनुपयुक्तता पर लिलुआ वर्कशॉप की दलील को नजरअंदाज करते हुए इसे खरीदा गया और कोचों की पेंटिंग की मशीनीकृत प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में वर्कशॉप में चालू किया गया। हालाँकि, एलएचबी कोचों की पेंटिंग और संबंधित कार्यों को आउटसोर्स करने के वर्कशॉप अथॉरिटी के निर्णय के बाद ₹ 12.66 करोड़ की लागत पर प्लांट की खरीद अविवेकपूर्ण हो गई।

पैरा 4.4 गलत फ़्लैगिंग और निर्धारित समय के भीतर कार्य संविदा बिलों की फ़्लैगिंग को ठीक करने में विफलता के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ न मिलना: पूर्व रेलवे

पूर्व रेलवे ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए कार्य संविदा बिलों को फ्लैगिंग करने के लिए रेल मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और वह निर्धारित समय के भीतर गलत फ्लैगिंग को भी ठीक नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, पूर्व रेलवे भुगतान किए गए माल एवं सेवा कर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में ₹ 6.45 करोड़ का लाभ नहीं उठा सका।